कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासाकन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
website- http://bilasagirlscollege.ac.in email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com
Ph No./Fax- 07752-224269

क्रमांक 1401/स्था./अति.व्या./2025 बिलासपुर, दिनांक / 02/2026

// अतिथि व्याख्याता (वणिज्य) (मातृत्व अवकाश की अवधि में वर्तमान सत्र 2025–26 की शेष अवधि हेतु) हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक 574/126/ आउशि./राज. स्था. /2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक एफ–3–54/स्था/2020/38–1 दिनांक 20.06.2024 एवं पत्र क्र. 2889/01/आउशि./राज.स्था. /2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनॉक 23.07.2025 के अनुसार शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर में सत्र 2025–26 हेतु प्राध्यापक (वणिज्य) पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता के मातृत्व अवकाश की अवधि में वर्तमान सत्र 2025–26 की शेष अवधि हेतु अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 23.02.2026 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करे) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विशय/पदों का विवरण –

क्रमाक	विषय	रिक्त पद	संख्या	विशेष
01	वणिज्य	प्राध्यापक	01	कार्यरत अतिथि व्याख्याता के मातृत्व अवकाश की अवधि में वर्तमान सत्र 2025–26 की शेष अवधि हेतु

टीप – संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि व्याख्याता के मातृत्व अवकाश की अवधि से वापिस लौट कर कार्यभर ग्रहण करने, अथवा वर्तमान सत्र 2025–26 की शेष अवधि (जो पहले हो), नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते –

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 23.02.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा ।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनॉक 26.02.2026 महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर किया जावेगा।

05. गुणानुकम अनुसार प्रकाशित अनंतिम सूची में दावा आपत्ति हेतु समय अंकित होगा।

06. दावा आपत्ति उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

क्रमंशः.....02

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विष्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10 अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा –

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिय			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर एवं आवेदित विषय/पद आवशयक रुप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. एस.आर. कमलेश)

PRINCIPAL

शास. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

Govt. Bilasa Girls P.G. College Bilaspur (C.G.)

पृ. क्रमांक /स्था./अति.व्या./2025 बिलासपुर, दिनांक / /2025

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवंतृतीय तल, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. संयोजक, चयन समितिको सूचनार्थ।
3. प्राचार्य/रजिस्ट्रार/विभागाध्यक्ष ....कोसूचनार्थ।कृपया विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित करने का कष्ट करेगे।
4. कार्यालय प्रति।
5.

प्राचार्य